संख्या- 14/2019 / 77 /71-1-2019-जी-271/2016

प्रेषक

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 जनवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत महानिदेशालय में विभिन्न आवश्यक कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/575, दिनॉक 04-12-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्गत असेवित मण्डल में स्थापित होने वाले निजी मेडिकल कालेजों को सहायता में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 32.10 लाख (रू0 बत्तीस लाख दस हजार मात्र) की बचत को महानिदेशालय में विभिन्न आवश्यक कार्यो हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 23.60 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू0 4.50 लाख तथा 52-पुनरीक्षित वेतन में रू0 4.00 लाख, कुल रू0 32.10 लाख (रू0 बत्तीस लाख दस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग वित्तीय वर्ष 2018-19 में नहीं की जाएगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-49-चिकित्सा व्यय-52-पुनरीक्षित वेतन" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-70/दस-2019, दिनॉक 28 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

29/01/19

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 14/2019 / 77 (1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2018–19

प्रपत्र–बी0एम0–9 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा–18–इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्गत असेवित मण्डल में स्थापित होने वाली निजी मेडिकल कालेजों को सहायता–					
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	100.00	32.10	32.10	32.10	67.90
योग–	**100.00**	**32.10**	**32.10**	**32.10**	**67.90**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन–					
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान–	10.00	33.60	23.60	23.60	33.60
49–चिकित्सा व्यय–	7.50	12.00	4.50	4.50	12.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष–	18.91	22.91	4.00	4.00	22.91
योग–	**36.41**	**68.51**	**32.10**	**32.10**	**68.51**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष 2018–19 मे इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्गत असेवित मण्डल में स्थापित होने वाली निजी मेडिकल कालेजों को सहायता में मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 32.10 लाख की बचत होने की सम्भावना है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में महानिदेशालय में शासकीय कार्य निस्तारण हेतु विभिन्न आवश्यक मदों में धनराशि का प्रावधान कम होने के कारण उक्तानुसार कुल रू0 32.10 लाख की अति आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या– आर०ई०-303, दिनांक - 28 जनवरी 2019

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(अनिल कुमार)
उप सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(शैलेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव
वित्त विभाग

तथा प्रशासन-03-निदेशन-10

संख्या– 14/2019/77/71-1-19-जी-27/2016,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
उप सचिव